छत्तीसगढ़ अध्यादेश
(क्र. 5 सन् 2024)

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क्र. 23 सन् 1956) को अग्रतर संशोधित करने हेतु अध्यादेश।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया।

यतः राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं है और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तत्काल कार्रवाई करें।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैः–

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अध्यादेश छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 कहलायेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा ।

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956) का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 (क. 23 सन् 1956) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रुप में निर्दिष्ट है), इस अध्यादेश की धारा 3 से 20 में विनिर्दिष्ट संशोधनों के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होंगे ।

धारा 5 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 5 में,–

"(एक) खण्ड (34–क) का लोप किया जाये।

(दो) खण्ड (43–क) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"परन्तु, अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या से अभिप्रेत है, ऐसी जनसंख्या के आंकड़े, जिसका निर्धारण विहित रीति से किया गया हो।"

धारा 9 का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 9 में,–

(एक) उप–धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(क) नगरपालिक क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा निर्वाचित महापौर अर्थात् सभापति;"

(दो) उप–धारा (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(4) यदि कोई नगरपालिक क्षेत्र, महापौर का निर्वाचन करने में असफल रहता है या कोई वार्ड, पार्षद का निर्वाचन करने में असफल रहता है, यथास्थिति, ऐसे नगरपालिक क्षेत्र या वार्ड के स्थान को भरने के लिये छः माह के भीतर नई निर्वाचन कार्यवाहियां प्रारंभ की जाएंगी और जब तक उस स्थान को भरा नहीं जाता, उसे आकस्मिक रिक्ति समझा जायेगा :

परन्तु अधिनियम के अधीन अध्यक्ष या समिति में से किसी के निर्वाचन की

कार्यवाहियां, ऐसे स्थान का निर्वाचन लंबित रहते, स्थगित नहीं की जायेंगी।"

धारा 11 का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 11 की उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:–

"(2) ऐसे नगरपालिक निगमों में, जहाँ अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित किये गये हैं, वहाँ यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन रहते हुए, शेष स्थान, अन्य पिछड़ा वर्गो के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित किये जाएंगे और ऐसे स्थान भिन्न–भिन्न वार्डो के लिए ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, चक्रानुक्रम से आवंटित किये जायेंगे:

परंतु, यह कि उप–धारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों का कुल आरक्षण पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक है, तो अन्य पिछड़ा वर्गों (ओ.बी.सी.) के लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि इस प्रकार आरक्षित रखे गए किसी वार्ड से पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए अन्य पिछड़े वर्गो के किसी भी सदस्य द्वारा कोई नामांकन पत्र फाइल नहीं किया जाता है तो, कलेक्टर उस वार्ड को

अनारक्षित वार्ड के रूप में घोषित करने के लिए सक्षम होगा।''

धारा 11–क का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 11–क में,–

(एक) उप–धारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित की जाये, अर्थात्:–

''(2) राज्य के महापौर के पदों की कुल संख्या में अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों के लिए पचास प्रतिशत से कम स्थान आरक्षित होने पर यथासंभव निकटतम रूप से कुल स्थानों की संख्या के पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए शेष स्थान अन्य पिछड़े वर्गो के लिए, उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षित रखे जाएंगे:

परन्तु उप–धारा (1) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा/अथवा अनुसूचित जनजातियों का कुल आरक्षण पचास प्रतिशत या पचास प्रतिशत से अधिक होने की स्थिति में, अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित नहीं किया जाएगा।''

(दो) उप–धारा (4–क) का लोप किया जाये ।

धारा 14 का संशोधन.

7. मूल अधिनियम की धारा 14 की उप–धारा (1) एवं (2) में, शब्द ''पार्षदों'' के पश्चात्, क्रमशः शब्द ''तथा महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 14–क का संशोधन.

8. मूल अधिनियम की धारा 14–क की उप–धारा (1) में, शब्द ''पार्षद'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 14–ख का संशोधन.

9. मूल अधिनियम की धारा 14–ख में, शब्द ''पार्षद'' के स्थान पर, शब्द ''महापौर'' प्रतिस्थापित किया जाये।

धारा 14–ग का संशोधन.

10. मूल अधिनियम की धारा 14–ग के खण्ड (ख) में, शब्द ''पार्षद'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 15 का संशोधन.

11. मूल अधिनियम की धारा 15 में,–

(एक) शब्द ''पार्षदों'' के पश्चात्, शब्द ''या महापौर'' अन्तःस्थापित किया जाये;

(दो) परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''परन्तु कोई भी व्यक्ति यथास्थिति, पार्षदों के किसी निर्वाचन में या महापौर के निर्वाचन में, एक से अधिक बार मतदान नहीं करेगा।''

धारा 16 का संशोधन.

12. मूल अधिनियम की धारा 16 में,–

(एक) उप–धारा (1) के खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(क) यदि वह आयु में 25 वर्ष से कम नहीं है, तो महापौर के निर्वाचन हेतु; और''

(दो) उप–धारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप–धारा जोड़ा जाये, अर्थात्:–

''(4) यदि कोई व्यक्ति महापौर और पार्षद दोनों के लिए निर्वाचित हो जाता है, तो उसे निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से

सात दिन के भीतर किसी एक पद से अपना त्यागपत्र देना होगा।"

धारा 17 का संशोधन.

13. मूल अधिनियम की धारा 17 में,–

(एक) शीर्षक में, शब्द "पार्षद" के पश्चात्, शब्द "या महापौर" अन्तःस्थापित किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) में, शब्द "पार्षद" के पश्चात्, शब्द "या महापौर" अन्तःस्थापित किया जाये;

(तीन) उप–धारा (1) के खण्ड (ख ख) में, शब्द "पार्षद" के पश्चात्, शब्द "या महापौर" अन्तःस्थापित किया जाये;

(चार) उप–धारा (1) के खण्ड (ड.) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(ड.) "महापौर की दशा में, पच्चीस वर्ष से कम आयु का हो और पार्षद की दशा में, इक्कीस वर्ष से कम आयु का हो"

(पांच) उप–धारा (2) में, पार्श्व शीर्षक एवं संलग्न पैरा में, शब्द "पार्षद" जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात्, शब्द "या महापौर", अन्तःस्थापित किया जाये;

(छः) उप–धारा (3) में, शब्द "पार्षद" जहाँ कहीं आया हो, के पश्चात्, शब्द "या महापौर', अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 17–ख का संशोधन.

14. मूल अधिनियम की धारा 17–ख में,–

(एक) उप–धारा (1) में, शब्द "प्रत्येक पार्षद" के पूर्व, शब्द "प्रत्येक महापौर तथा" अन्तःस्थापित किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाये;

(तीन) उप–धारा (2) में, शब्द ''पार्षद'' जहाँ कहीं आया हो, के पूर्व, शब्द ''महापौर या'' अन्तःस्थापित किया जाये।

धारा 18 का संशोधन.

15. मूल अधिनियम की धारा 18 में,–

(एक) शीर्षक में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

''(1) निगम का महापौर तथा निर्वाचित पार्षद धारा 22 के अधीन निर्वाचन की अधिसूचना की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, विहित रीति में निर्वाचित पार्षदों में से एक अध्यक्ष निर्वाचित करेंगे।''

(तीन) उप–धारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

''(3)उप–धारा (1) के अधीन सम्मिलन, कलेक्टर द्वारा बुलाया जाएगा तथा वह उसकी अध्यक्षता करेगा।''

(चार) उप–धारा (4) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाये।

धारा 20 का संशोधन.

16. मूल अधिनियम की धारा 20 के स्पष्टीकरण में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, शब्द ''महापौर तथा'' का लोप किया जाये।

17. मूल अधिनियम की धारा 23–क में,– **धारा 23–क का संशोधन.**

(एक) शीर्षक में, शब्द "महापौर या" "का लोप किया जाये;

(दो) उप–धारा (1) में, शब्द "अध्यक्ष" जहाँ कहीं आया हो, के पूर्व शब्द "महापौर या" का लोप किया जाये;

(तीन) उप–धारा (2) के खण्ड (दो) में, शब्द "महापौर" के पश्चात, चिन्ह एवं शब्द ",अध्यक्ष" का लोप किया जाये ।

18. मूल अधिनियम की धारा 23–क के पश्चात, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:– **धारा 24 का संशोधन.**

"24. महापौर का वापस बुलाया जाना.– (1) किसी निगम के प्रत्येक महापौर द्वारा अपना पद तत्काल रिक्त कर दिया गया समझा जाएगा यदि उसे ऐसी प्रकिया के अनुसार जो कि विहित की जाए, निगम क्षेत्र के मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत द्वारा गुप्त मतदान से वापस बुलाया जाए;

परंतु वापस बुलाने की ऐसी कोई प्रकिया तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि निर्वाचित पार्षदों की कुल संख्या के कम से कम तीन चौथाई पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर न कर दिए जाएं और उसे संभागीय आयुक्त को प्रस्तुत न कर दिया जाए;

परंतु यह और कि ऐसी कोई प्रकिया–

(एक) उस तारीख से जब ऐसा महापौर निर्वाचित

होता है और अपना पद धारण करता है, दो वर्ष की कालावधि के भीतर आरंभ नहीं की जाएगी;

(दो) किसी उप–चुनाव में निर्वाचित महापौर की आधी कालावधि का अवसान न हो गया हो, आरंभ नहीं की जाएगी;

परंतु यह और भी कि महापौर को वापस बुलाए जाने की प्रक्रिया उसकी संपूर्ण अवधि में एक बार ही आरंभ की जाएगी।

(2) संभागीय आयुक्त अपना समाधान कर लेने और यह सत्यापित कर लेने के पश्चात् कि उप–धारा (1) में विनिर्दिष्ट तीन चौथाई पार्षदों ने वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजेगा और राज्य सरकार उसे राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देशित करेगी।

(3) राज्य निर्वाचन आयोग निर्देश प्राप्त होने पर, वापस बुलाए जाने के प्रस्ताव पर, ऐसी रीति में, जैसी कि विहित की जाए, मतदान करवाने की व्यवस्था करेगा।''

धारा 422 का संशोधन.

19. मूल अधिनियम की धारा 422 की उप–धारा (1) के खण्ड (ख) में, शब्द ''अध्यक्ष'' के पूर्व, जहाँ कहीं शब्द ''महापौर तथा'' आया हो, का लोप किया जाये।

धारा 441 का संशोधन.

20. मूल अधिनियम की धारा 441 की उप–धारा (2) के खण्ड (आ) के उप–खण्ड (तीन) के स्थान पर, निम्नलिखित उप–खण्ड प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:–

"(तीन) महापौर के निर्वाचन की दशा में, नगरपालिक क्षेत्र के किसी मतदाता द्वारा।"

अटल नगर, दिनांक 3 दिसम्बर 2024

क्र. 10101/डी. 93/21–अ/प्रारू./छ.ग./24. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम (संशोधन) अध्यादेश, 2024 (क्रमांक 5 सन् 2024) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल सिन्हा, उप सचिव.